राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.48 / मुसप्र / भू–पट्टी / आवंटन / 2010 / 2265 दिनांकः– 7-12-10

आदेश

मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक– मुसप्र / 2009 / भू–पट्टी / आवंटन / 1443 दिनांक 4.12.2009 के द्वारा भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के आवंटन बाबत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस संबंध में दिनांक 24.2.2010 को आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी वृत / खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि उनके कार्यालयों के अधीन योजनाओं में आवंटित किये गये आवासों के पास उपलब्ध भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के सभी प्रकरणों का सर्वे किया जाकर सर्वे रिपोर्ट के साथ ऐसे प्रकरणों में मुख्यालय स्तर के आवंटन प्रस्ताव भिजवायें जावें, किन्तु मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के पत्रांक 230 दिनांक 20.4.2010 के द्वारा सभी को पुनः सूचित किये जाने के बावजूद भी भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के आवंटन प्रस्ताव सर्वे रिपोर्ट सहित मुख्यालय नहीं भिजवाये गये हैं, जो कि बहुत ही खेद का विषय है।

अतः सभी उप आवासन आयुक्तों एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों के आवासीय अभियन्ताओं को हिदायत दी जाती है कि मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के पास उपलब्ध अनुपयोगी भूमियों का मौका निरीक्षण एवं सर्वे कर इसकी रिपोर्ट 31.12.2010 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। मौका निरीक्षण व सर्वे रिपोर्ट में रिक्त भूखण्ड की स्थिति, क्षेत्रफल, नीलामी में कौन–कौन पड़ौसी भाग ले सकते हैं, अन्य उपयोग सम्भव है या नहीं आदि सभी तथ्यों का खुलासा करें। सर्वेक्षण में सभी भूखण्ड शामिल होने चाहिए, कोई भूखण्ड छूटना नहीं चाहिए। उक्त तिथि तक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता / सचिव / वित्तीय सलाहकार, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, पी. एण्ड एम. / निदेशक विधि / तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त / जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.म. जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त–वृत–.................. रा0आ0म0, ...
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.....................रा0आवम0, ...
7. रक्षित पत्रावली।
8. [illegible]

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक